राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमॉकः–एफ–7(विविध)/अकाद/आकाशि/2020/796-97 जयपुर, दिनांक : 4 फरवरी, 2020

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः–**प्राचार्य अधिकृत अवकाश घोषित करने के सम्बन्ध में ।**

राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य एक कैलेण्डर वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसम्बर) में तीन अवकाश घोषित करने के लिये अधिकृत है। प्रायः यह देखा गया है कि प्राचार्यों द्वारा उक्त अधिकार की मूल भावना के प्रतिकूल रहते हुये अवकाशों का निर्धारण किया जा रहा है।

सामान्यतः जिलाध्यक्ष (जिला कलेक्टर) के द्वारा भी जिले में अवकाश घोषित करते समय अवकाश दिवस के औचित्य का ध्यान रखा जाता है तथा अवकाश घोषित करते समय तार्किक रूप से स्वविवेक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार के किये जाने वाले अवकाश की एक परम्परागत गरिमा होती है।

अतः प्राचार्य के द्वारा राज्य के महाविद्यालयों में अवकाश घोषित किये जाने का निर्धारण स्वेच्छा से नहीं करके अवकाश की औचित्यता को देखते हुये किया जाये। अवकाश घोषित करने से पूर्व अवकाश का ठोस, तार्किक ओर औचित्यपूर्ण कारण होना अनिवार्य है। इस प्रकार के अवकाश का निर्धारण एक समिति (प्राचार्य एवं दो वरिष्ठ सह/सहायक आचार्यो) द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

इस तरह के अवकाश के निर्धारण की घोषणा कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ में ही कर दिया जाना चाहिए है। यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उस अवस्था में स्थानीय स्तर पर किये गये अवकाश की पूर्व जानकारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन को होनी चाहिए।

इस आदेश की पालना सुनिश्चित की जाये।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि – वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

4/2/2020

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)